भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित** प्रश्न संख्या **2652**

जिसका उत्तर मंगलवार, 09 जुलाई, 2019/18 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है।

**पीपीपी पद्धति में नए उर्वरक संयंत्र**

**2652. श्री विजय कुमार दूबेः**
**श्री संतोष कुमारः**
**श्री सुनील कुमार मंडलः**
**श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्लेः**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास निकट भविष्य में विशेषकर बिहार में पूर्णिया, कर्नाटक के चिक्कोडी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में सरकारी निजी सहभागिता (पीपीपी) पद्धति के अधीन नए उर्वरक संयंत्र स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या देश में वर्तमान रुग्ण उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्री**

**(श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा)**

---

**(क):** जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

**(ख) और (ग):** उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

**(घ):** जी, हां। भारत सरकार फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) के बंद पड़े 5 उर्वरक संयंत्रों नामत: एफसीआईएल के तलचर (ओडिशा), रामागुंडम (तेलंगाना), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) और सिंदरी (झारखण्ड) संयंत्र तथा एचएफसीएल के बरौनी (बिहार) संयंत्र का पुनरुद्धार प्रत्येक में 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले नए अमोनिया यूरिया संयंत्र स्थापित करके कर रही है।

भारत सरकार मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल) और फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट) के वित्तीय पुन:संरचना के प्रस्ताव की भी जांच कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार के ऋण एवं उस पर ब्याज को माफ करना भी शामिल है। इन पीएसयू की अधिशेष भूमि के मुद्रीकरण के विकल्प भी खोजे गए हैं।

*******